भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

 अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1025

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**विधि डिग्रियों का सत्यापन**

1025. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बडे़ पैमाने पर विधि की फर्जी डिग्रियों संबंधी शिकायतों को देखते हुए प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1.3 मिलियन अधिवक्‍ता हैं तथा जनवरी 2017 तक उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या इस अभियान का उद्देश्य फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों वाले फर्जी अधिवक्ताओं को हटा देना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) और (ख): माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने दिनांक 20.10.2016 के आदेश में, अंतरण मामला (सिविल) संख्‍या 126/2015 में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग को यह आदेश दिया था कि वह विश्‍वविद्यालयों से अनुरोध करें कि वे अपनी लॉ डिग्रियों के संबंध में संबंधित बार काउंसिल से अधिवक्‍ताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्‍यापन 31.01.2017 तक या इससे पहले कराएं। तदनुसार, यूजीसी ने दिनांक 30.11.2016 को सभी विश्‍वविद्यालय के कुलपतियों को यह अनुरोध करते हुए एक परिपत्र जारी किया था कि वे प्रतिष्ठित अधिवक्‍ताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्‍यापन करें और 31.01.2017 तक इस प्रक्रिया को पूरा करें।

(ग): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), जो भारत में कानूनी प्रक्रिया और कानूनी शिक्षा को विनियमित करती है, ने सूचित किया है कि इसने वर्ष 2011 में भारत में वकीलों की संख्‍या संबंधी कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। तथापि, अधिवक्‍ताओं के सत्‍यापन अभियान के दौरान 6,22,122 वकीलों ने सत्‍यापन फार्म 31.11.2016 की निर्धारित तारीख के भीतर विभिन्‍न राज्‍य एवं काउंसिलों को प्रस्‍तुत किए हैं।

(घ) और (ड.): बीसीआई ने सूचित किया है कि सत्‍यापन प्रक्रिया का मूल आशय कानूनी व्‍यवसाय से जाली और झूठे अधिवक्‍ताओं की छटनी करना है। अधिवक्‍ताओं की लॉ डिग्रियों के संबंध में प्रमाण-पत्र सत्‍यापन को माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा अंतरण मामला (सिविल) संख्‍या 126/2015 के अंतर्गत मॉनीटर किया जाता है।

**\*\*\*\*\***